न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 240/2023 राजस्व वाद

01.श्रीमती लक्ष्मी बाई रावत राजपूत पत्नी श्री किशन सिंह रावत राजपूत आयु वयस्क निवासी– हाथीभाटा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादीया

बनाम

01.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री बन्टु सिह चुण्डावत —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी

दिनांक– 19/03/2024

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद हाथीभाटा पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 110, 111, 112, 113 कुल किता 04 रकबा 1.0244 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमे 1/5 हक हिस्सा वादीया का है, जो कि वादीया के पति किशन सिंह के नाम दर्ज रेकार्ड थी व वादीया के पति की मृत्यु उपरान्त विरासत से नामान्तरणकरण वादीया व उसके वारीसान के नाम पर खोला गया, जिसमे वादीया का नाम नोजी अंकित कर दिया। जो वादीया का बोलता नाम है, जबकि वादीया के सभी दस्तावेजात जिसमे आधार कार्ड, पहचानपत्र, राशन कार्ड मे वादीया का नाम लक्ष्मी बाई रावत राजपूत अंकित है। वादीया का बोलता नाम दर्ज होने से वादीया को अकारण परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। वादीया ने दिनांक 24/05/2023 को खाते की जानकारी की नकल प्राप्त की तब उक्त गलत नाम दर्ज होने की जानकारी हुई, इस पर वादीया प्रतिवादी सके समक्ष उपस्थित होकर वादीया का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया। इस कारण से वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादीया का नाम का नाम नोजी पत्नी किशन सिंह के बजाय लक्ष्मी बाई रावत राजपूत पत्नी श्री किशन सिंह रावत राजपूत दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी [illegible] जायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। ...आदि।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी [illegible] नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी से मौका रिपोर्ट तलब की गयी, प्रतिवादी द्वारा पटवार हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.11 12:20:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

गयी, जो पेश की, जिसे शामिल पत्रावली की गयी। जिसमे प्रतिवादी द्वारा नोजी पत्नी किशन सिंह के स्थान पर नोजी उर्फ लक्ष्मी बाई रावत पत्नी श्री किशन सिंह रावत किया जाना उचित माना।

वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीया द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे नोजी पत्नी श्री किशन रावत के बजाय लक्ष्मी बाई रावत राजपूत पत्नी श्री किशन सिंह रावत अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी लक्ष्मी बाई रावत पत्नी श्री किशन सिंह राजपूत है व साथ ही प्रतिवादी से तलब मौका रिपोर्ट मे भी उक्त तथ्यो की पुष्टि हुई है व नाम दुरूस्त किया जाना उचित माना है। अतः वादीया का नाम नोजी पत्नी किशन सिंह रावत के बजाय नोजी उर्फ लक्ष्मी बाई रावत राजपूत पत्नी श्री किशन सिंह रावत दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो के लिए वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का आवेदन स्वीकार कर सरहद हाथीभाटा पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 110, 111, 112, 113 कुल किता 04 रकबा 1.0244 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादीया का नाम नोजी पत्नी श्री किशन सिंह के बजाय नोजी उर्फ लक्ष्मी बाई रावत पत्नी श्री किशन सिंह रावत दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(बंशी धर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.11 12:20:34 IST
Reason: SelfAttested